बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

सं०–प्र2/आयोग सदस्य चयन–17/03(पार्ट)–......06......   पटना, दिनांक–......28/3/12......

विद्युत अधिनियम 2003 (The Electricity Act, 2003) की धारा – 82 की उप धारा (5) एवं धारा – 85 की उप धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री के॰ पी॰ सिंह, सदस्य (थर्मल), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली को उनके प्रभार ग्रहण करने की तिथि से विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 89 के प्रावधानों के अन्तर्गत 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक सदस्य, बिहार विद्युत विनियामक आयोग के पद पर नियुक्त किया जाता है।

बिहार विद्युत विनियामक आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवाशर्त्त) नियमावली– 2003 के द्वारा बिहार सरकार ने अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवाशर्त्त को विहित किया है। इस सेवाशर्त्त के अनुसार सदस्य पद के लिए श्री के॰ पी॰ सिंह को पेंशन की सकल रकम के साथ–साथ उसमें किसी सरांशिकृत अंश, यदि पहले से प्राप्त कर रहे हों, की कटौती के अध्यधीन प्रति माह ₹ 22400–525–24500 (अपुनरीक्षित) वेतन देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
28/3/12
(शम्भु नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–......1427......   *पटना, दिनांक–......28/3/12......*

प्रतिलिपिः– उप सचिव, ई – गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी० डी० के साथ बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु अग्रसारित।
उनसे अनुरोध है कि अधिसूचना की 200 मुद्रित प्रतियाँ ऊर्जा विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

28/3/12
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–......1427......   *पटना, दिनांक–......28/3/12......*

प्रतिलिपिः– श्री के॰ पी॰ सिंह, सदस्य (थर्मल), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, 901, सेवा भवन, आर॰ के॰ पुरम, नई दिल्ली–66 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/3/12
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–..........1427....... *पटना, दिनांक*–......28/3/12......

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित–

1. सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली।
2. अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकार, सेवा भवन, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–66
3. अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, स्कोप कॉम्पलेक्स, कोर–3, 7 वाँ तल, लोदी रोड, नई दिल्ली–3
4. सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग, सभी राज्य सरकार
5. महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल मार्ग, पटना
6. अध्यक्ष, सभी राज्य विद्युत बोर्ड
7. अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, विद्युत मंत्रालय के अधीन सभी केन्द्रीय प्रक्षेत्र उपक्रम।
8. उप महाप्रबंधक (एच० आर०) एन०टी०पी०सी० भवन, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, इन्स्टीच्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली।

28/3/12

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–..........1427....... *पटना, दिनांक*–......28/3/12......

प्रतिलिपिः– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/ माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, ऊर्जा के आप्त सचिव/ मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ सभी प्रधान सचिव/ सचिव, बिहार सरकार/ अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना/ सचिव, बिहार विद्युत विनियामक आयोग/ सचिव, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना/ अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, तेनुघाट विद्युत निगम लि०, पटना/ प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य जल विद्युत निगम, पटना/ निदेशक, ब्रेडा, पटना/ मुख्य विद्युत अभियन्ता, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना /मुख्य विद्युत निरीक्षक, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/3/12

सरकार के संयुक्त सचिव।